



2026:AHC-LKO:39973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या
- 1041 सन 2026

पूजा देवी

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	विनोद कुमार पांडेय, रक्षित सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता / 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदिका पूजा देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 26 सन् 2026, अंतर्गत धारा 108, 238 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (तदनुरूप धाराएं 306, 201 भारतीय दंड संहिता), पुलिस थाना दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 13.10.2025 को आवेदिका तथा उसके पति रविन्द्र उपाध्याय के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 108, 238 के अंतर्गत एक प्रथम सूचना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर विपिन उपाध्याय की पत्नी मंदाकिनी की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। आवेदिका मृतका की जेठानी है और रविन्द्र मृतका का जेठ है।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदिका को झूठा फंसाया गया है। मामला प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, किंतु विवेचना के दौरान इसे धारा 108/238 भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित कर दिया गया।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट छह दिन के विलंब से दर्ज की गई है और इस प्रकार के अत्यधिक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि पंचनामा तथा शव-परीक्षण भी शिकायतकर्ता और दीपक उपाध्याय (मृतका के भांजे) की उपस्थिति में किया गया था। मृतका के पंचनामा में कोई चोट नहीं पाई गई, हालांकि शव-परीक्षण में गर्दन के सामने 23 सेमी x 2 सेमी का लिगेचर मार्क पाया गया है।

6. मृतका का आवेदिका के साथ किसी प्रकार के विवाद या कहासुनी का कोई आरोप नहीं है। आवेदिका और उसके परिवार के सदस्य अपने ससुर के साथ अलग रह रहे थे। गवाहों के बयानों से भी स्पष्ट है कि मृतका और सह-अभियुक्त रविन्द्र उपाध्याय के बीच या तो पूर्व में अथवा कथित घटना की तारीख को विवाद हुआ था। यहां तक कि मृतका की पुत्री ने अपने बयान में कहा है कि वह अभियुक्त-आवेदिका से नाराज नहीं है और यह केवल पारिवारिक विवाद का मामला है, जिसमें आवेदिका पर आत्महत्या के लिए उकसाने या दुष्प्रेरित करने का कोई आरोप नहीं है।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदिका एक महिला है और उसका मृतक की मृत्यु से कोई लेना-देना नहीं है। वह एक गृहिणी है और उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि वह पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी और जब भी आवश्यक होगा, जांच में सहयोग करेगी।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया, लेकिन आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक कथन पर विवाद नहीं किया।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा मत है कि आवेदिका पूजा देवी अग्रिम जमानत की हकदार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में आवेदिका की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- (i) आवेदिका जब भी आवश्यक हो, विवेचक द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी।
- (ii) आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी।
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
- (iv) आवेदक जांच और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- (v) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

11. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता होगी।

12. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को अनुमति दी जाती है।

[न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद]

जून 2, 2026

फ़हीम/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।